INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

RO/ARO

समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी

उत्तर प्रदेश सरकार

LATEST EDITION

HANDWRITTEN NOTES

उ. प्र. लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग-4 भारतीय राजव्यवस्था + अंतर्राष्ट्रीय संबंध

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

उ.प्र. RO /ARO

समीक्षा अधिकारी / सहायक समीक्षा अधिकारी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

भाग – 4

भारतीय राजव्यवस्था + अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स ***"उ. प्र. समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO)"*** *को एक विभिन्न अपने - अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये नोट्स पाठकों को* ***उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)*** *द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा* ***"उ. प्र. समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा अधिकारी" परीक्षा – 2023-24*** *में पूर्ण संभव मदद करेंगे।*

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स मे कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं। अतः आप सूची पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : https://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/d5wdiv

Online Order करें - https://shorturl.at/besw4

मूल्य : (₹)	संस्करण : नवीनतम (2023-24)

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	भारतीय राजव्यवस्था	
1.	परिचय	1
2.	भारतीय संविधान	10
3.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	12
4.	संविधान सभा	18
5.	भारतीय संविधान की विशेषताएं	24
6.	उद्देशिका	36
7.	संघ एवं इसका क्षेत्र	41
8.	नागरिकता	56
9.	मौलिक अधिकार	58
10.	नीति निदेशक तत्व	83
11.	नागरिकों के मूल कर्तव्य	89
12.	राष्ट्रपति	96
13.	प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद	119
14.	भारतीय संसद	127
15.	केंद्र – राज्य संबंध	140
16.	उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन	143
17.	निर्वाचन आयोग	155
18.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	160
19.	नीति आयोग	162
20.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	164
21.	संघ लोक सेवा आयोग	169
22.	लोकपाल	171
23.	केन्द्रीय सूचना आयोग	173
24.	राष्ट्रीय मानवाधिकार	177
25.	संविधान संशोधन	179
26.	भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति	187

27.	गठबंधन सरकारें	191
28.	राजनीति गत्यात्मकताएं	196
	<u>अंतर्राष्ट्रीय संबंध</u>	
1.	भारत की विदेश नीति	203
2.	दक्षिण एशिया, दक्षिण - पूर्व एशिया एवं पश्चिम एशिया एवं सुदूर पूर्व में भू - राजनीतिक	232

भारतीय राजव्यवस्था

अध्याय – 1

परिचय

राज्य, राज्य के तत्व तथा राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता :-

- राज्य शब्द का प्रयोग यू तो विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि को सूचित करने के लिए भी होता है किंतु इसका वास्तविक अर्थ **किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना से होता है।**
- वस्तुतः यह एक अमूर्त अवधारणा है अर्थात् इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जा सकता है किंतु देखा नहीं जा सकता।
- उदाहरण के लिए भारत की सरकार संसद न्यायपालिका राज्यों की सरकारें नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही राज्य कहलाती है।

राज्य के तत्व :-

(1). भू-भाग (2). जनसंख्या (3). सरकार (4). संप्रभुता

(1). भू-भाग :- अर्थात् एक ऐसा **निश्चित भौगोलिक प्रदेश** होना चाहिए,जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीति क्रियाएँ करती हों। उदाहरण के लिए भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भू-भाग है।

(2). जनसंख्या :- राज्य होने की शर्त है कि उसके भू-भाग पर **निवास करने वाला एक ऐसा जनसमूह होना चाहिए,**जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हों। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व निरर्थक हो जाएगा।

(3). सरकार :- सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है **जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है।** 'राज्य' और 'सरकार' में यही अंतर है कि **राज्य एक अमूर्त संरचना है** जबकि **सरकार** उसकी **मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति।**

(4). संप्रभुता या प्रभुसत्ता :- यह राज्य का अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्व है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास अर्थात् उसकी सरकार के पास अपने भू-भाग और जनसंख्या **की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए तथा** उसे किसी भी बाहरी और भीतरी दबाव में निर्णय करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए।

राज्य के यह चारों तत्व अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है।

शासन के अंग

(1). विधायिका (अर्थात् कानून बनाने वाली संस्था)

(2). कार्यपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था)

(3). न्यायपालिका (अर्थात् कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था)

विधायिका (Legislature) -

- किसी भी देश में विधायिका (Legislature) एक महत्वपूर्ण सरकारी अंग है, जो देश में कानूनों का निर्माण, संशोधन, और पारित करने का कार्य करता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य समाज के लिए न्यायपूर्ण और योग्य कानून बनाना होता है, जिससे समाज और समाज में रहने वाले लोगों का विकास हो सके तथा लोगों के हकों का पालन हो सके।
- भारत में विधायिका का महत्वपूर्ण भूमिका होता है और यह तृतीय अध्याय के अंतर्गत आता है, जिसमें संविधान की प्रमुख धाराएँ होती हैं।

भारत की विधायिका का विवरण:

1. **लोकसभा:** भारतीय विधायिका का पहला आवास लोकसभा है। भारतीय संविधान के अनुसार 552 सदस्यों से मिलकर बनता है, जिन्हें चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। लोकसभा की प्रमुख जिम्मेदारी नए कानूनों को प्रस्तुत करना, बजट पास करना, सरकार को ऊनकी जिम्मेदारियों का एहसास करना, और सरकार के द्वारा लागू किए जाने वाले कानूनों की समीक्षा करना होता है।
2. **राज्यसभा:** भारतीय विधायिका का दूसरा आवास राज्यसभा है। भारतीय संविधान के अनुसार 250 सदस्यों से मिलकर बनता है, इन सदस्यों को राज्य सरकारों के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा की प्रमुख जिम्मेदारी राज्यों और क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करना है और नगरपालिका, पंचायत, और संघ क्षेत्रों के साथ उनके हितों की रक्षा करना होता है।
3. राष्ट्रपति – भारत का राष्ट्रपति भी विधायिका का भाग होता है, किसी भी विधेयक पर जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते है तभी वह अधिनियम बनता है

भारतीय विधायिका की सदस्यों का चयन चुनावों के द्वारा किया जाता है, जो भारतीय संविधान की प्रावधानिकता और लोकतंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्यपालिका (Executive)-

- कार्यपालिका भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार के निर्देशन, प्रशासन, और निगरानी का कार्य करता है।
- यह सरकार की नीतियों और कानूनों को कार्यान्वित करने और लोगों के प्रभुत्व की सुरक्षा करने का जिम्मेदार होता है।
- संविधान के अनुसार, कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के विकास और उन्नति को सुनिश्चित करना है और लोगों के प्रभुत्व की रक्षा प्रदान करना होता है।

कार्यपालिका के अंग निम्नलिखित होते हैं:

1. **स्थायी कार्यपालिका** – इसके सदस्य स्थायी रहते हैं इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें सचिव, उपसचिव तथा महासचिव के रूप में जाना जाता है।
2. **अस्थायी कार्यपालिका** – इसके सदस्य अस्थायी रहते हैं ये हर 5 साल बाद चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं इसमें निम्न सदस्य शामिल हैं -

प्रधानमंत्री: प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और वे देश के राष्ट्रपति के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को संचालित करते हैं। प्रधानमंत्री का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और वे देश के जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं।

मंत्रिपरिषद : मंत्रिपरिषद या कैबिनेट सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों को लेने और सरकार की नीतियों को स्वीकृत करने का कार्य करती है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री शामिल होते हैं, और यह सरकार के कई प्रमुख निर्णयों का स्रोत होता है।

मंत्रिमंडल – मंत्रिमंडल अर्थात् कैबिनेट भी अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होता है।

कार्यपालिका का महत्त्व इसलिए है क्योंकि यह सरकार की नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करने और लोगों के प्रभुत्व की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी निभाता है। यह नीतियों के प्राथमिक निर्माण का काम करता है और सरकार के निर्देशन को समान रूप में लागू करने का जिम्मेदार होता है, जिससे समाज में विकास और सुधार हो सके।

भारत की न्यायपालिका (Judiciary of India) भारतीय संविधान का तीसरा प्रमुख अंग है और यह न्यायिक प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका दी है, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कानूनी और न्यायिक विचारधारा के प्रायोजनों का पालन हो रहा है और न्याय व्यवस्था को बनाए रख सके।

भारत की न्यायपालिका के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:

- **सर्वोच्च न्यायालय:** सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रणाली का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य भारतीय संविधान की अवाधिकता को सुनिश्चित करना और न्यायिक विचारधारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण मामलों का निर्णय देना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायक होते हैं।
- **उच्च न्यायालय:** देश के प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होते हैं, जिनका कार्यक्षेत्र उस राज्य के सीमाओं तक होता है। इन न्यायालयों के न्यायाधीश उनके राज्य के न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायक होते हैं।
- **न्यायिक आयोग:** न्यायिक आयोग का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना होता है। इसके न्यायाधीश और सदस्य इसके कार्यों का प्रबंधन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि लोग अपना कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकें और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें।
- न्यायपालिका की भूमिका संविधान की सुरक्षा करने और न्याय व्यवस्था के पालन में महत्वपूर्ण होती है। यह सुनिश्चित करती है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय और समानता का अधिकार प्राप्त हो और कोई भी अन्याय नहीं होता हो। इसके माध्यम से न्यायपालिका भारतीय समाज के सुधार और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शासन के तीनों अंगों में संबंध :-

- किसी देश की राजव्यवस्था को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी होता है कि वहाँ शासन के तीनों अंगों में कैसा संबंध है? मोटे तौर पर यह संबंध निम्न प्रकार का हो सकता है -
- कहीं-कहीं यह तीनों अंग परस्पर जुड़े होते हैं उदाहरण के लिए राज्य तंत्र में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका तीनों का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है | अधिनायक तंत्र/तानाशाही तथा धर्म तंत्र में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है यह लक्षण किसी राजव्यवस्था के पारंपरिक तथा गैर-लोकतांत्रिक होने की ओर इशारा करता है |
- कुछ देशों में **विधायिका और कार्यपालिका में नजदीक का संबंध होता** है, जबकि **न्यायपालिका इनसे अलग होती** है | यह व्यवस्था **संसदीय प्रणाली वाले देशों** में दिखाई पड़ती है | इनमें कार्यपालिका,विधायिका का ही अंग होती है जबकि कार्यपालिका इन दोनों से पृथक

और स्वतंत्र होती है | **भारत और ब्रिटेन** को मोटे तौर पर इसके कारण के रूप में देखा जा सकता है |

- **अमेरिका** जैसे देशों में यह संबंध कुछ अलग है | वहां यह **तीनों अंग एक दूसरे से पृथक होते हैं** | इसे "**शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत**" कहते हैं | कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति का चुनाव जनसाधारण द्वारा निर्वाचित निर्वाचक-गण के माध्यम से होता है | विधायिका के दोनों सदनों का चुनाव जनता अलग अलग तरीके से करती है | न्यायपालिका के पदाधिकारियों का चयन राष्ट्रपति करता है परन्तु इसके लिए उसे सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ती है | इस प्रकार शासन के तीनों अंग एक-दूसरे की शक्तियों का निर्वाहन करते हैं और इसके लिए संविधान में कई विशेष प्रावधान भी किए गए हैं | इस सिद्धांत को "**नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत**" कहते हैं |
- जहां तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है इसमें शासन के तीनों अंगों का संबंध ना तो पूरी तरह अमेरिका जैसा है और ना ही इंग्लैंड जैसा है | भारत में ब्रिटेन की तरह कार्यपालिका विधायिका से ही बनती है क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है | इसके बावजूद भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह इतनी ताकतवर नहीं है कि उसके ऊपर सीमाएं आरोपित ना की जा सकें | **भारतीय न्यायपालिका** को अमेरिकी न्यायपालिका की तरह यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा पारित कानून का **न्यायिक अवलोकन** कर सके और यदि वह कानून संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है तो उसे समाप्त कर सकें |

शासन प्रणालियों के विभिन्न प्रकार

प्रकार -I

राजनीतिक व्यवस्था दुनिया के हर समाज में हमेशा रही है, किंतु सरकार या शासन प्रणालियों की संरचना हमेशा एक समान नहीं रही है | शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं |

प्रकार -2

शासन प्रणाली का वर्गीकरण कुछ अन्य दृष्टि- कोणों से भी किया जा सकता है | दो प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं :-

(I). केंद्र और प्रांतों के संबंधों के आधार पर :-
(a). परिसंघात्मक प्रणाली
(b). संघात्मक प्रणाली

परिसंघात्मक प्रणाली (Federal System) व्यवस्था ऐसी प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रणाली है जिसमें देश का क्षेत्र विभिन्न राज्यों और केंद्रीय सरकार के बीच विभाजित होता है, और दोनों के मध्य साझा अधिकार और जिम्मेदारियाँ होती हैं।

भारत एक परिसंघात्मक प्रणाली के उदाहरण के रूप में सबसे बड़ा और प्रमुख देश है। इस प्रणाली के तहत्, भारत का क्षेत्र राज्यों और केंद्र सरकार के मध्य विभाजित होता है।

परिसंघात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:

- **दोहरी (ड्यूल) जिम्मेदारियाँ :** परिसंघात्मक प्रणाली में दो स्तर के सरकार होते हैं – (i) राज्य सरकार (ii) केंद्रीय सरकार।
  राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों के पास अपने - अपने कार्य और जिम्मेदारियाँ होता है।
- **संविधानिक विभाजन:** परिसंघात्मक प्रणाली के अंतर्गत, संविधानिक दृष्टि से राज्य सरकारों के और केंद्रीय सरकार के मध्य साझा विभाजन का प्रावधान होता है। इसका मतलब है कि दोनों सरकार अपने-अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र होते हैं और एक - दूसरे की क्षेत्रीय अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं।
- **समरसता और एकता :** परिसंघात्मक प्रणाली विभिन्न सांस्कृतिक, भाषायी, और धार्मिक विविधताओं के बावजूद एकता और समरसता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह उन्नति और सामाजिक समृद्धि के लिए समृद्धि की दिशा में मदद करती है।
- **सहयोग और अंशगत स्वतंत्रता :** राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों के मध्य सहयोग और आपसी समझदारी का माध्यम होता है, जिससे सार्वजनिक नीतियों को अधिक उत्तरदायी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।
- **संविधान के संरक्षण :** परिसंघात्मक प्रणाली के तहत्, संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो दोनों सरकारों (राज्य एवं केन्द्रीय सरकार) के मध्य विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं का निर्माण करता है और इसके पालन की गारंटी देता है।
  परिसंघात्मक प्रणाली एक बड़े देश में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विविधताओं को समरसता और समृद्धि की दिशा में मिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। यह देश के विकास को बढ़ाने में सहयोग देता है और सभी व्यक्तियों को समरसता और समानता का अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है।

संघात्मक प्रणाली (Unitary System) व्यवस्था एक ऐसी प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें एक देश के क्षेत्र को एक ही सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और केंद्रीय सरकार को सभी सत्ताओं और जिम्मेदारियों का पूर्ण अधिकार होता है। इस प्रणाली के तहत्, राज्यों को स्वतंत्रता का माध्यम नहीं होता, और वे केंद्रीय सरकार की अधीन रहते हैं। संघात्मक प्रणाली

का उदाहरण ब्रिटिश संघात्मक प्रणाली और फ्रांसीसी संघात्मक प्रणाली है।

संघात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:

- **केंद्रीय नियंत्रण:** इस प्रणाली के तहत, केंद्रीय सरकार को सभी सत्ताओं और जिम्मेदारियों का पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य की सरकारें केंद्रीय सरकार के निर्देशनों के अनुसार कार्य करती हैं और उन्हें अपनी सत्ताओं का प्रयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति चाहिए।
- **केंद्रीय सरकार की प्राधिकृति:** संघात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार को अधिक सत्ताएँ और अधिक प्राधिकृति होती है। वह कानूनों को बनाने, नीतियों को तय करने, और राष्ट्र के विकास की दिशा में निर्देशन देने का पूर्ण अधिकार रखती है।
- **संविधानिक सामंजस्य:** संघात्मक प्रणाली में संविधान एक और प्रभावकारी निर्णयक होता है, और राज्यों को उनके स्वतंत्रता का कम माध्यम मिलता है।
- **राज्यों की समरसता:** संघात्मक प्रणाली में राज्यों को न्यूनतम आधिकारिक स्वतंत्रता मिलती है, जो विभिन्न राज्यों के बीच सामरसता और सामंजस्य को बढ़ावा देती है।
- **स्थिरता और प्रभावकारिता:** संघात्मक प्रणाली स्थिर और प्रभावकारिता की दिशा में मदद करती है, क्योंकि केंद्रीय सरकार को अपने नीतियों को सुनिश्चित करने और क्रियान्वित करने में आसानी होती है।

संघात्मक प्रणाली के तहत, एक ही सरकार राष्ट्र के सभी हिस्सों को नियंत्रित करती है, जिससे केंद्रीय सरकार को समरसता और विकास में अधिक नियंत्रण मिलता है। इसके बावजूद, संघात्मक प्रणाली का उपयोग बड़े और विशाल देशों में सरकारी प्रशासन को सरल और प्रभावकारी बनाने के लिए किया जा सकता है।

(2). विधायिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर :-

(a). संसदीय प्रणाली

(b). अध्यक्षीय प्रणाली

संसदीय प्रणाली, जिसे Parliamentary System भी कहा जाता है, एक प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

यह प्रणाली एक प्रमुख निर्वाचनीय संगठन जैसे कि संसद या विधायिका के माध्यम से सरकार का गठन करने का तरीका होता है। संसदीय प्रणाली का प्रमुख उदाहरण भारत, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, और भारतीय उपमहाद्वीप के कई अन्य देशों में मिलता है।

संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ:

- **संसद का गठन :** किसी भी देश के लिए संसद या विधायिका एक महत्वपूर्ण संगठन होता है संसद निर्वाचन के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का संग्रहण करता है। संसद की मुख्य कार्यवाही निर्वाचन, नियमन, और नीतिगत विचार-विमर्श होता है।
- **सरकार का गठन :** संसद के द्वारा निर्वाचित किए गए सदस्यों के माध्यम से सरकार का गठन होता है। सरकार के नेता और मंत्रिमंडल का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है।
- **सरकार की प्रतिनिधिता :** सरकार संसद के माध्यम से प्रतिनिधिता करती है और संसद में नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करती है। सदस्यों के द्वारा किए गए प्रस्तावनाओं और क़ानूनों को पारित करने के लिए मतदान किया जाता है।
- **प्रतिनिधि सरकार :** संसदीय प्रणाली में सरकार प्रतिनिधिता और समर्थन के आधार पर कार्य करती है, और यह महत्वपूर्ण है कि सरकार विधायिका के सदस्यों की जनता के प्रति जवाबदेहीपूर्ण हो।
- **महत्वपूर्ण नीतियों का पारित करना :** संसदीय प्रणाली के द्वारा महत्वपूर्ण नीतियों को पारित करने का प्रक्रिया होता है, जिसमें सदस्यों के द्वारा नीतिगत प्रस्तावनाओं का परीक्षण और मतदान किया जाता है।
- **प्रशासकीय स्थिरता :** संसदीय प्रणाली में सरकार को सदस्यों के बहुमत से स्थिरता मिलती है जो उन्हें नीतिगत फैसलों के लिए अधिकारिक लीडर्स की चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **संविधानिक समरसता :** संसदीय प्रणाली में संविधानिक समरसता का पालन होता है, जिसमें सरकार और संसद के बीच संविधान के प्रावधानों का पालन करना होता है।

संसदीय प्रणाली एक जनता की जातिगत, धार्मिक, और सांस्कृतिक विविधता को समाहित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, क्योंकि यह प्रदेशों और समृद्धिशीलता के मामलों में जनता की आवाज को सुनने का माध्यम प्रदान करता है। यह संरचना भारतीय गणराज्य की नीतिगत प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है।

अध्यक्षीय प्रणाली (Presidential System) एक प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली है जिसमें एक प्रमुख सरकारी पद के रूप में एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की भूमिका होती है, जो सरकार की कमान संभालता है और सभी प्राधिकृतियों का अधिकार रखता है। इस प्रणाली में सरकार के नेता निर्वाचित होते हैं और वे सीधे जनता के माध्यम से चुने जाते हैं, बिना किसी मध्यस्थ संसद या संसद के सदस्यों के मतदान के अध्यक्षीय शासन प्रणाली का उदाहरण देश अमेरिका है।

अध्याय – 3

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सन् 1600 में अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के रूप में आए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षी से बहुत दूर थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था।

महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार के लिए चार्टर प्रदान किया था।

संयोगवश ईस्ट इंडिया को यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें भारतीय राजनीतिक संघर्ष के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, वे भारतीय राज्यों से युद्ध कर उनका विलय करने के लिए बाध्य हो गए। उन्हें अपनी व्यापारिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति एवं अपने व्यक्तित्व हितों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध करना पड़ा।

भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ में अंग्रेजों को अन्य यूरोपीय कंपनियों तथा भारतीय राज्यों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, किंतु भारतीय राज्यों के आपसी मतभेद और षड्यंत्रों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उनके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान एवं अवसर प्रदान किया।

लेकिन सन् 1764 में घटित हुए बक्सर की युद्ध के बाद जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए राजस्व और न्याय का अधिकार मिलने से कंपनी को पर्याप्त प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हो गई।

इसने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को चिन्हित किया।

अब इस व्यापारिक कंपनी ने अपनी शक्ति को इस तरह बढ़ाना शुरू किया कि वो देश के प्रत्येक राज्य तक पहुँच सके।

अंग्रेजों की भारत में सफलता के प्रमुख कारण उनकी प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था थी।

जो उन्होंने विभिन कानूनों के माध्यम से स्थापित की थी। जिसने भारतीय संविधान के वर्तमान स्वरूप पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा।

1857 का विद्रोह देश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था जिसने ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया।

ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 अर्थात् भारत की स्वतंत्रता तक शासन किया। भारत की स्वतंत्रता ने देश के लिए एक संविधान को अनिवार्य बना दिया।

1946 में संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। भारतीय संविधान के विकास का मूल कंपनी और ब्रिटिश प्रशासन के दौरान आरंभ किए गए विभिन्न अधिनियमों व नियमों में निहित है। भारतीय संविधान के विकास क्रम को दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है।

- ***कंपनी का शासन (1773-1858)*** :- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन् 1600 में एक व्यापारिक निकाय के रूप स्थापित हुई और सन् 1765 में एक शासकीय निकाय में बदल गई।
- **राजा या ताज का शासन** :- ब्रिटिश सरकार ने सन् 1858 से 1947 तक शासन किया।
- **भारतीय रक्षत्री आंदोलन की विरासत** :- इन सिद्धांतों को लंबे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गढ़ा गया था। राष्ट्रवादी आंदोलन से विरासत में मिले सिद्धांतों को संविधान सभा मूर्त रूप दे रही थी।
- राष्ट्रवादी आंदोलन द्वारा संविधान सभा में लाए गए सिद्धांतों का सबसे अच्छा सारांश वर्ष 1946 में नेहरू द्वारा पेश किया गया "उद्देश्य संकल्प" है। इस संकल्पना में संविधान के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को समझाया गया है।

कंपनी का शासन :-

- कंपनी शासन के दौरान, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने के लिए ब्रिटिश भारत संसद ने कहीं अधिनियम पारित किए। सशस्त्र विद्रोह के बाद वर्ष 1858 में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। तब से, ब्रिटिश संसद ने भारत की प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली।

कम्पनी का शासन [1773 से 1858 तक]

1. 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट
2. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट
3. 1833 का चार्टर अधिनियम
4. 1853 का चार्टर अधिनियम

a. भारत में ब्रिटिश 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में व्यापार करने आये।
b. महारानी एलिजावेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे।

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट

- इस अधिनियम द्वारा **बंगाल के गवर्नर** को **'बंगाल का गवर्नर जनरल** कहा गया।
- इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर 'बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गये।

- इसके अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसका क्षेत्राधिकार कलकत्ता था।
- इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का 'कोर्ट आफ डायरेक्टर्स' के माध्यम से कम्पनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया।
- **बंगाल का पहला गवर्नर जनरल लार्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।**
- कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश **'एलिजा इम्पे'** थे।
- भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था।
- इसके द्वारा पहली बार कम्पनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी।
- इसके तहत् कम्पनी के कर्मचारियों को निजि व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- इस एक्ट को एक्ट ऑफ सैटलमेण्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- इसने कम्पनी के राजनैतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया।
- भारत में कम्पनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया।
- ब्रिटिश सरकार को भारत में कम्पनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
- इसने निदेशक मंडल को कम्पनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) नाम से एक निकाय का गठन कर दिया, इस प्रकार, द्वैध शासन की व्यवस्था का आरम्भ किया गया।

1786 का चार्टर अधिनियम –

पृष्ठभूमि – लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा उन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त करने की मांगों को पूरा करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया।

इस अधिनियम के तहत् गवर्नर को वीटो शक्ति प्रदान किया।

अधिनियम के प्रावधान / लॉर्ड कार्नवालिस की मांगें –

- उन्हें विशेष मामलों में उनकी परिषद् के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति प्रदान किया जाए।
- साथ ही वे कमांडर – इन – चीफ भी होंगे।

1793 का चार्टर अधिनियम –

- लॉर्ड कार्नवालिस को उनकी परिषद् पर दी गई अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रेसिडेंसी के सभी गवर्नरों तक बढ़ा दिया।
- गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास की अधीनस्थ प्रेसीडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियां और नियंत्रण प्रदान किया गया।
- गवर्नर - जनरल की बंगाल से अनुपस्थिति में, वह अपनी परिषद् के नागरिक सदस्यों में से एक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कर सकता था।
- कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति प्रदान किया गया।
- इसमें प्रावधान किया गया कि कमांडर इन चीफ जब तक गवर्नर जनरल की परिषद् का सदस्य नहीं हो सकता तब तक उसे नियुक्त न किया जाए।
- अधिनियम ने यह भी निर्धारित किया कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और उनके कर्मचारीयों के वेतन का भुगतान भारतीय राजस्व से किया जाएगा। साथ ही कंपनी को प्रत्येक वर्ष भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को पाँच लाख रुपये का भुगतान करना था।

1813 का चार्टर अधिनियम –

- 1813 के चार्टर अधिनियम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा जारी किया गया था, जिससे भारत में कंपनी का शासन स्थापित हुआ।
- कंपनी के लिए कंपनी के अधिकांश विज्ञापन ख़त्म हो चुके थे, व्यापार के लिए उनके पास केवल चाय और अफीम ही रह गए थे।
- पूर्व में चीन के साथ भी व्यापार जारी था।
- इस अधिनियम की शक्ति से भारत में न्यायालयों के ज्ञान या शक्ति में वृद्धि हुई, जो यूरोपीय ब्रिटिश और परिवीक्षाधीन सरकार की शक्ति पर थे।
- इसे कंपनी के चार्टर को अगले बीस वर्षों तक बढ़ाने के लिए पारित किया गया था।
- इसलिए, इस अधिनियम ने अन्य व्यापारियों को सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत् भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया।
- यूरोप में अहस्तक्षेप की भावना और नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय प्रणाली ने यूरोप में फ्रांसीसी सहयोगियों में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
- 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश व्यापारियों की उन शिकायतों का निवारण करने की मांग की।

- इस कारण भी चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ।

अधिनियम के प्रावधान –

- अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता पर जोर दिया।
- कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
- नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को और अधिक कर दिया गया ।
- इस अधिनियम के तहत् , ब्रिटिश भारत ने भारतीयों की शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये आवंटित किए।
- ईसाई मिशनरी ने उन्हें अंग्रेजी और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी।
- अधिनियम ने कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व और वाणिज्यिक लाभ को विनियमित किया। तथा क्षेत्रीय और वाणिज्यिक खातों को अलग रखने के लिए कहा गया था ।
- स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने पर दंडित करने का अधिकार दिया गया ।

1833 का चार्टर अधिनियम

- इस अधिनियम ने **बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया।**
- इसने मद्रास एवं बंबई के गवर्नरों की विधायिका सबंधी शक्ति से वंचित कर दिया ।
- भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक एवं सैन्य शक्तियाँ दी गईं।
- **लार्ड विलियम वेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ।**
- चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ।
- ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्यिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय के रूप में वैध कर दिया गया।
- भारत में कंपनी के क्षेत्र उसके महामहिम, उसके उत्तराधिकारियों और उत्तराधिकारियों के लिए विश्वास में रखे हुए थे।
- अधिनियम की धारा 87 के द्वारा जाति, वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह केवल कागजों तक ही सीमित रह गया।
- इस अधिनियम ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की स्वतंत्रता दे दी ।
- इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया।
- चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कम्पनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जायेगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

अधिनियम का महत्व –

- बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिए जाने के बाद भारतीय प्रशासन का अकेंद्रीकरण अपने चरम पर पहुँच गया।
- ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ताज का ट्रस्टी बनाया गया ।
- भारत का पहला विधि आयोग गठित किया गया । यह भारतीय दंड संहिता का प्रारूप निर्मित करने के लिए उत्तरदायी थे। जिसे बाद में 1860 में अधिनियमित किया गया ।

1853 का चार्टर एक्ट –

पृष्ठभूमि – यह अधिनियम मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था ।

इसे 1773 से 1858 तक अब तक के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक माना गया।

इस अधिनियम को पारित करने के अन्य कारण भी थे –

- बंगाल के गवर्नर के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका के बारे में चिंताएँ उभरने लगीं क्योंकि इसने बंगाल के पक्ष में कुछ निर्णय लिए थे।
- शासन का विकेंद्रीकरण करने को कहा गया और भारतीयों के जीवन के संबंध में उनके अभिमत को शामिल करने की मांग की गई ।

अधिनियम का प्रावधान –

- अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में देशों और राजस्व को ताज के भरोसे बनाए रखने का अधिकार दिया।
- 1793,1813 और 1833 के पिछले चार्टर अधिनियमों के विपरीत किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए नहीं जिसने 20 वर्ष के लिए चार्टर को नवीनीकृत किया।
- पहली बार गवर्नर - जनरल की परिषद् के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग किए गए ।
- अधिनियम में प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, सचिव और अन्य अधिकारियों का वेतन ब्रिटिश सरकार द्वारा तय किया जाएगा लेकिन कंपनी के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

- प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है, ये शब्द हैं संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
- प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं।
- सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।"
- प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है न ही उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला ।
- यह गैर-न्यायिक है अर्थात् इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

अध्याय – 7

संघ एवं इसका क्षेत्र

- अनुच्छेद -1 में कहा गया इण्डिया यानी **भारत बजाय राज्यों के समूह के 'राज्यों का संघ' होगा।** यह दो बातों को स्पष्ट करता है।
  1. एक देश का नाम
  2. दूसरी राज पद्यति का प्रकार

अनुच्छेद 1 (2) – राज्य और उनके क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
अनुच्छेद 1 (3) – भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे।

(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र ;
(ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ, राज्य क्षेत्र; और
(ग) ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए।

- अंबेडकर के अनुसार राज्यों का संघ को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है।
  (i) भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिकी संघ । (ii) **राज्यों को संघ में विभक्त होने का अधिकार नहीं है।**

संघ क्या है? (What is Federation)

संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित किया जाता है। ।

संघवाद दो प्रकार का होता है। पहला एकीकरण (केंद्रीय स्तर पर) और दूसरा प्रकथधिकरण (स्थानीय या राज्यीय स्तर पर) जब कई सारे छोटे - छोटे राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी एक समझौते के आधार पर एक संघ या संगठन बना लेते हैं। जिसमें एक सरकार के अधीन कानून का पालन किया जाता है।

साधारण भाषा में कहा जाए तो जब छोटे - छोटे राज्य किसी संधि या समझौते के द्वारा एक समूह या संगठन बनाते हैं तो वह संघ यानी फेडरेशन कहलाता है। यह बहुत बड़े स्तर पर होता है।

इसमें शक्ति विभाजन, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित व कठोर संविधान, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है।

कुछ प्रभुता संपन्न राज्य मिलकर एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था बनाते है, जिसमें दो या अधिक राष्ट्र जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और वह किसी समझौता के अनुसार

विश्व के अन्य देशों के साथ एक राष्ट्र के रूप में व्यवहार करें, तो वह परिसंघ कहलाते हैं।

संघ की तुलना में राज्यमंडल के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता होती है परिसंघ में राज्यों के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्य से समझौते के आधार पर निर्मित समूह संघ या महासंघ कहलाता है। जिसमें राज्यों की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं होता।

भारतीय क्षेत्र

- राज्यों के क्षेत्र
- संघ क्षेत्र
- ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता।
- भाग 21 के अन्तर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबन्ध हैं।
  - महाराष्ट्र
  - गुजरात
  - नागालैंड
  - असम
  - मणिपुर
  - आन्ध्र प्रदेश
  - तेलंगाना
  - सिक्किम
  - मिजोरम
  - अरुणांचल प्रदेश
  - गोवा
  - कर्नाटक

<u>अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्षेत्र का अधिग्रहण</u>

संप्रभुता के अधिग्रहण के कई तरीकों को अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा वैध तरीकों के रूप में मान्यता दी गई है जिसके द्वारा एक राज्य किसी क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त कर सकता है। उन्हें 5 तरीकों में बाँटा गया है:

1. अभिवृद्धि: यह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी मौजूदा क्षेत्र के भौतिक विस्तार को संदर्भित करता है, जैसे कि अवसादों का निक्षेप द्वीपों का उद्भव या ज्वालामुखीयता।

2. अध्यर्पण: यह स्वामी राज्य द्वारा दूसरे राज्य को राज्य क्षेत्र पर संप्रभुता का हस्तांतरण है। इस प्रकार का अधिग्रहण भाग लेने वाले देशों के बीच समझौतों या संधियों द्वारा नियंत्रित होता है।

3. विजय: यह शक्ति प्रयोग द्वारा एक क्षेत्र का अधिग्रहण है। इसे अब किसी भी देश या अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा स्वीकार्य नहीं माना जाता है। अध्यर्पण और विजय में बहुत महीन अंतर है। अनिवार्य अध्यर्पण के विपरीत विजय में विलय के बाद क्षेत्र को मजबूरी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। साथ ही, अध्यर्पण में संबंधित पक्षों के बीच समझौता होता है इसके विपरीत विजय में संबंधित पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में

युद्ध में विजेताओं ने अध्यर्पण की संधि लागू की है। भूमि पर युद्ध के कानूनों और रीति-रिवाजों का सम्मान करने वाले सम्मेलन (हेग IV, 1907) में कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिकों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित स्पष्ट प्रावधान हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

a. राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन) चार्टर के अनुच्छेद 10 के अनुसार क्षेत्र को अर्जित करने के उद्देश्य से युद्ध छेड़ना गैरकानूनी बनाया गया है। साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत भी गैरकानूनी है।

4. प्रभावी आधिपत्य: आधिपत्य एक राज्य का अंतरराष्ट्रीय दावा है जो क्षेत्र किसी अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा टेरा नलियस (किसी की भूमि नहीं) या किसी अन्य राज्य द्वारा उस क्षेत्र की संप्रभुता पर दावा नहीं किया जा रहा हो। 1907 के हेग विनियम के अनुच्छेद 42 में आधिपत्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "किसी क्षेत्र को आधिपत्य में माना जाता है जब यह वास्तव में शत्रु सेना के अधिकार में होता है। आधिपत्य केवल उस क्षेत्र तक फैला हुआ है जहाँ ऐसा अधिकार स्थापित किया गया है और इसका प्रयोग किया जा सकता है।"

5. चिरभोग (Prescription): यह एक क्षेत्र पर संप्रभुता के वास्तविक प्रयोग के माध्यम से संप्रभुता के अधिग्रहण को संदर्भित करता है, यह उचित अवधि के लिए बनाए रखा जाता है, जो अन्य राज्यों की आपत्ति के बिना प्रभावी होता है।

a. चिरभोग द्वारा इस तरह के स्वामित्व निर्धारण के लिए आवश्यक समयावधि या अन्य परिस्थितियों के संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया था। मामले के आधार पर शर्तें अलग-अलग होती हैं।

अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गयी है कि संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों और शर्तो पर जो ठीक समझे, संघ में नये राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके ।

- पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों, जो अस्तित्व में नहीं हैं, की स्थापना से संबंधित है, अर्थात् अनुच्छेद 2 उन राज्यों, जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं हैं, के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है।
- इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 2 संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो "**वह ठीक समझे**" (it thinks fit), संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

करे। परन्तु, ये निबंधन और शर्तें, अनिवार्यतः संविधान के आधारभूत सिद्धांत या मूल
ढाँचे के अनुरूप होने चाहिए। संविधान में ऐसा, कोई प्रावधान नहीं है जो 'एक नए राज्य' को संघ में प्रवेश या स्थापना के पश्चात्, पहले से विद्यमान राज्य के समान दर्जे का अधिकार प्रदान करे।

- Art-3 संसद के पास शक्ति है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना या नये राज्य का निर्माण करना।
- अनुच्छेद – 3 के अनुसार

संसद, विधि द्वारा-

(क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी:

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी;

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी;

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी;

(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी:

- Art-3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है।
- संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए । राष्ट्रपति विधान मंडल के मत मानने के लिए। को बाध्य नहीं है।
- संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है परन्तु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती ।
- **अमेरिका को 'अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है।**
- स्पष्टीकरण 1- इस अनुच्छेद के खंड (क) से खंड (ङ) में, "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक में "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है।
- स्पष्टीकरण 2 - खंड (क) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।]
- अनुच्छेद -4

(1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधान मंडल या विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

- क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर (Art 3 के अन्तर्गत) भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया ।
- केन्द्र सरकार का निर्णय कि **बेरुबाड़ी संघ (पश्चिम बंगाल) पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो,** ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया, जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया ।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा की संसद की शक्तियों में राज्यों को सीमा समाप्त करने और । (अनुच्छेद 3 अन्तर्गत) भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने का कार्य नहीं है। यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है।
- इस तरह **9वें संविधान संशोधन अधिनियम (1960) के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया गया ।**
- 100 वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार भारत ने बांग्लादेश को 111 विदेशी अन्तः क्षेत्र दिया व बांग्लादेश ने भारत को 51 अन्तः क्षेत्र को दिया ।

केंद्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव

देशी रियासतो का एकीकरण

- देशी रियासतों को तीन विकल्प दिये ।

(i) भारत में शामिल

(ii) पाकिस्तान में शामिल

(iii) या स्वतंत्र रहे ।

549 रियासतो भारत में शामिल हुई। बची तीन रियासते अन्य प्रक्रिया से सम्मिलित हुई ।

<u>तीन रियासत</u>

- हैदराबाद (पुलिस कार्यवाही द्वारा)
- जूनागढ (जनमत द्वारा)
- कश्मीर (विलय पत्र द्वारा)

<u>1950 में भारतीय संघ के राज्य के प्रकार</u>

- भाग क (गवर्नर का शासन)
- भाग ख (शाही शासन)
- भाग ग (मुख्य आयुक्त एवं कुछ में शाही)
- भाग घ (अंडमान निकोबार)

धर आयोग और जेवीपी समिति

- **जून 1948 में भारत सरकार ने एस. के. धर** की अध्यक्षता में **भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की ।**
- आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 में पेश की।
- इसके अनुसार राज्यों का पुनर्गठन भाषायी कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होनी चाहिए ।
- **जेवीपी समिति में नेहरु, पटेल, पट्टाभिसीतारमैया** शामिल थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश की। इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होनी चाहिए।
- **56 दिन की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेसी नेता पोट्टी श्री रामुलु का निधन हो गया** ।

फजल अली आयोग (दिसम्बर 1953)

- फजल अली (अध्यक्ष)
- के एम पणिक्कर
- एच. एस कुंजरु
- इस आयोग ने **रिपोर्ट 1955 में पेश** की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया की **राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए । लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार कर दिया ।**
- समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए चार बड़े कारकों की पहचान की।

(i) देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण
(ii) भाषायी एवं सांस्कृतिक एक रुपता
(iii) वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क
(iv) प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण योजना एवं उनका संवर्धन ।

- **1 नवम्बर 1956 को 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित** प्रदेशों का गठन किया गया ।

14 राज्य

1. आन्ध्रप्रदेश
2. असम
3. मुंबई
4. बिहार
5. जम्मू कश्मीर
6. केरल
7. मध्य प्रदेश
8. मैसूर
9. मद्रास
10. उड़ीसा
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. उत्तर प्रदेश
14. पश्चिम बंगाल

संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली
हिमाचल प्रदेश
मणिपुर
त्रिपुरा
अण्डमान निकोबार
लंका द्वीप मीनिकाय, अमीनद्वीवी द्वीप समूह

1. 2 जून 2014 में आन्ध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य बना ।
2. **भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य बना।**
3. भाषा तेलगू, राजधानी कुरनूल, गुंटूर में हाइकोर्ट स्थापित हुआ ।
4. 2014 में भारत में 28 राज्य 8 केन्द्र शासित प्रदेश थे ।
5. अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं

28 राज्यों की सूची –

क्र. सं.	राज्य		राजधानी
1.	हिमाचल प्रदेश	-	शिमला
2.	उत्तराखंड	-	देहरादून
3.	पंजाब	-	चंडीगढ़
4.	हरियाणा	-	चंडीगढ़
5.	उत्तरप्रदेश	-	लखनऊ
6.	बिहार	-	पटना
7.	झारखण्ड	-	रांची
8.	पश्चिम बंगाल	-	कोलकाता
9.	सिक्किम	-	गंगटोक
10.	असम	-	दिसपुर
11.	अरुणाचलप्रदेश	-	ईटानगर
12.	नागालैंड	-	कोहिमा
13.	मणिपुर	-	इम्पाल
14.	मिजोरम	-	आइज़ोल
15.	त्रिपुरा	-	अगरतला
16.	मेघालय	-	शिलॉन्ग

- ये सभी सुझाव तेलंगाना एवं अन्य नवीन राज्यों की मांग को लेकर सरकार के रुख को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाते।
- हालांकि सरकार ने सुझावों पर अपना विचार अभी नहीं दिया है लेकिन कृष्णा समिति के सुझाव भी असमंजस की स्थिति ही उत्पन्न करते हैं।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि तेलंगाना सहित अन्य राज्यों की मांग एवं सरकार की नीति जटिल समस्या बनी हुई है।
- ऐसे में स्पष्ट नीति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि राज्यों के निर्माण को लेकर विरोधाभाषी स्थिति उत्पन्न न हो सके।
- **हाल ही में राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के भील क्षेत्रों को मिलाकर भिलिस्तान राज्य की मांग जोर पकड़ रही है।** इसी तरह कई अन्य राज्यों की मांग भी राजनीति मुद्दा बन सकती हैं।

फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियाँ

- देशी रियासतों के एकीकरण के बाद भी दो मुख्य समस्याएं अब भी विद्यमान थीं। ये थीं भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों पर पांडिचेरी और गोवा के आस-पास फैली हुई फ्रांसीसी और पुर्तगाली स्वामित्व वाली बस्तियाँ एक लंबी संधि वार्ता के बाद पांडिचेरी और अन्य फ्रांसीसी आधिपत्यों को 1954 में भारत को सौंप दिया गया।
- परन्तु पुर्तगाली अपने क्षेत्रों को सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। इसके नाटो सहयोगियों ने पुर्तगाल की स्थिति का समर्थन किया जबकि भारत सरकार शांतिपूर्ण उपायों से सीमा विवाद को सुलझाने की नीति का समर्थन कर रही थी।
- गोवा की जनता ने पुर्तगाली नियंत्रण से आज़ादी के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। परन्तु इस आन्दोलन के साथ साथ भारत से सत्याग्रह के लिए जाने वाले सत्याग्रहियों को भी बहुत कठोर तरीके से कुचल दिया गया।
- अंततः पुर्तगाल के खिलाफ जनमत तैयार होने के बाद **नेहरू ने 17 दिसम्बर, 1961 की रात गोवा में भारतीय सेना को प्रवेश करने का आदेश दिया।**
- **भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के तहत् गोवा में प्रवेश किया परन्तु पुर्तगाली अधिकारियों ने बिना किसी युद्ध के तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया।**
- इस प्रकार भारत का क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण का कार्य पूरा हुआ हालांकि इस कार्य को पूरा करने में 14 वर्ष से अधिक समय लगा।

जम्मू-कश्मीर राज्य

- केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मे **जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया।**
- इस संदर्भ में संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया है।
- यह विधेयक पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ।
- यह विधेयक जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्रशासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान करता है।
- **अब राज्य में अनुच्छेद 370 (1)** ही लागू रहेगा, जो संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिये कानून बनाने से संबंधित है।

अनुच्छे द 370 है क्या?

- अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में 17 अक्तूबर, 1949 को शामिल किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को भारत के संविधान से अलग करता है और राज्य को अपना संविधान खुद तैयार करने का अधिकार देता है।
- इस मामले में अपवाद केवल आर्टिकल अनुच्छेद 370(1) को रखा गया है।
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के मामले में संसद को संसदीय शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोकता है।
- नवंबर 1956 में जम्मू-कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हुआ और 26 जनवरी, 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 दरअसल केंद्र से जम्मू-कश्मीर के संबंधों की रूपरेखा निर्धारित करता है।
- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत् भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिये कानून बना सकती है।
- इसके अलावा **किसी कानून को लागू करवाने के लिये केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।**

कैसे लागू हुआ अनुच्छेद 370?

जम्मू-कश्मीर सरकार ने इसका मूल मसौदा पेश कया। संशोधन व विचार-विमर्श के बाद 27 मई, 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306ए (अब 370) पारित हुआ। 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया।

क्या प्रमुख बदलाव होंगे इस फैसले से?

- जम्मू-कश्मीर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब ये दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेश होंगे।

- जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। अर्थात् जम्मू-कश्मीर में राज्य सरकार बनेगी, लेकिन लद्दाख की कोई स्थानीय सरकार नहीं होगी।
- जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान रद्द हो गया है, अब वहाँ भारत का संविधान लागू होगा। जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा भी नहीं होगा।
- जम्मू-कश्मीर में स्थानीय लोगों की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
- जम्मू-कश्मीर सरकार का कार्यकाल अब छह साल का नहीं, बल्कि पाँच साल का होगा।
- जम्मू-कश्मीर में देश के अन्य राज्यों के लोग भी ज़मीन लेकर बस सकेंगे। अब तक देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को वहाँ ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था।
- भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू-कश्मीर में नौकरी भी कर सकेगा। अब तक जम्मू-कश्मीर में केवल स्थानीय लोगों को ही नौकरी करने का अधिकार था।
- जम्मू-कश्मीर की लड़कियों को अब दूसरे राज्य के लोगों से भी विवाह करने की स्वतंत्रता होगी। किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह करने पर उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, जैसा कि अब तक होता रहा है।
- अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू-कश्मीर का मतदाता बन सकेगा और चुनावों में भाग ले सकेगा।
- रणबीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता प्रभावी होगी तथा नए कानून या कानूनों में होने वाले बदलाव स्वतः जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएंगे। अब अनुच्छेद-370 का केवल खंड-1 लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त कर दिये गए हैं। खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा इसे भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 370 के खंड-1 के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू-कश्मीर पर लागू कर सकते हैं।

<u>जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल, 2019</u>

- गृह मामलों के मंत्री अमित शाह ने **5 अगस्त, 2019 को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल, 2019 पेश किया।** यह बिल जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है।
- जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन: बिल जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित में पुनर्गठित करता है: (i) विधानसभा के साथ जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और (ii) विधानसभा के बिना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। **लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कारगिल और लेह जिले होंगे और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा जम्मू और कश्मीर राज्य का शेष प्रदेश आएगा।**
- लेफ्टिनेंट गवर्नर: जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाएगा। इसके लिए भी राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक एक प्रशासक की नियुक्ति करेंगे।
- जम्मू और कश्मीर की विधानसभा: बिल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करता है। **विधानसभा में कुल 107 सीटें होंगी।**
- **इनमें जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तानी कब्जे वाले कुछ क्षेत्रों की 24 सीटें रिक्त होंगी।**
- इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी जोकि वहां उनकी जनसंख्या पर आधारित होगा।
- साथ ही, लेफ्टिनेंट गवर्नर विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए दो सदस्यों को नामित कर सकता है, अगर उन्हें उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
- विधानसभा की अवधि पांच वर्ष होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को छह महीने में कम से कम एक बार विधानसभा की बैठक बुलानी होगी।
- विधानसभा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिए निम्नलिखित के संबंध में कानून बना सकती है: (i) संविधान की राज्य सूची में विनिर्दिष्ट कोई भी मामला (पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर), और (ii) केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होने वाली समवर्ती सूची में विनिर्दिष्ट कोई भी मामला। इसके अतिरिक्त संसद के पास यह शक्ति होगी कि वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाए।

- **मंत्रिपरिषद:** जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद उन मामलों में लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता और सलाह देगी जिन मामलों में विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के सभी फैसलों की जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाएगी।

- **उच्च न्यायालय:** जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय लद्दाख तथा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय होगा। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक एडवोकेट जनरल

उच्च न्यायालय

- भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं ।
- वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और असम, नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय है ।
- मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा राज्यों तथा दमन और दीव एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों पर है ।
- इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पाण्डिचेरी तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है ।
- सात संघशासित राज्यों में से केवल दिल्ली ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है ।
- उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214, अध्याय 5 व भाग 6 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं । न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं ।
- उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के साथ, जो उनके अधीनस्थ होते हैं, राज्य के प्रमुख दीवानी न्यायालय होते हैं ।
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती हैं ।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

गठन

- प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करे।

न्यायाधीशों की योग्यता

- अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा, जब वह
- भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो । न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान कोई व्यक्ति पदधारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है , जिसके लिए विधि का विशेषज्ञान अपेक्षित है ।
- किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करते समय वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधिका विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

न्यायाधीशों की नियुक्त

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है ।
- इस संबंध में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के पास प्रस्ताव भेजता है और राज्यपाल उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से परामर्श करके उसे प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजता है ।
- राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है ।
- उच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति मख्य न्यायाधीश की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये एक निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए ।
- 1999 में उच्चतम न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के केवल 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह लेना आवश्यक है किन्तु स्थानान्तरण के मामले में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श को अनिवार्य बनाया गया है ।
- साथ ही संबंधित उच्च न्यायालयों जिससे स्थानान्तरण किया गया है और जिसको स्थानान्तरण किया जाना है, वे मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा।

मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति

- अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय

के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार-विमर्श के पश्चात की जाती है और इस संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसी प्रथा का निर्माण हो गया है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, हालाँकि इस प्रथा का अनेक बार उल्लंघन किया गया है।

- कुछ समय पूर्व सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

- जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब राष्ट्रपति न्यायायल के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

- जब किसी उच्च न्यायालय में कार्य की अस्थायी वृद्धि हो जाये और राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि कार्य निपटाने के लिए और भी अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है ।
- इसी तरह जब उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है या अनुपस्थिति के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है, तब राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किये जाने के लिए किसी योग्य व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

- जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी या उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

जब कोई सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध स्वीकार कर कार्य करता है, तब उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं ।

शपथ ग्रहण

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है।

पदावधि

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है । परन्तु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है।
- यदि त्याग पत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है, जिस तिथि से त्याग पत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है ।

उदाहरणार्थ -

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र ने मई, 1977 में दिये अपने त्याग पत्र में लिखा था कि उनका त्याग पत्र 1 अगस्त, 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई, 1977 से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले लिये थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया कि त्याग पत्र लागू होने के पूर्व वापस लिया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदा चार तथा असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है ।

आयु के संबंध में विवाद

- जब उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के संबंध में विवाद होता है, तब उसका निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ।
- अब तक उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों, यथा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे. पी. मित्र, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस. आर. आचार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. वी. दीक्षित तथा आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भास्करन की आयु के बारे में विवाद उत्पन्न हुआ है।

विधि व्यवसाय पर रोक

- उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, जिसमें वह न्यायाधीश रहा है, के अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

- राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानान्तरण दूसरे न्यायालय में कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अध्याय – I

भारत की विदेश नीति

भारत की विदेश नीति –

भारत के विदेश संबंध : भारत की विदेश नीति का विकास

विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना (Understanding Foreign Policy And International Relations) :-

विदेश नीति वैश्विक घटनाओं से संबंधित है ! यदि आप राष्ट्र की कल्पना एक व्यक्ति के रूप में करते हैं तो विदेश नीति के विषय में आपको व्यक्ति द्वारा अपने आस-पास के वातावरण से संबंध रखने एवं संचालित होने के रूप में विचार करना होगा ! उदाहरण के लिए , कोई व्यक्ति पहचान , स्व – परिभाषा एवं स्व –हितों के एक समुच्चय के माध्यम से संचालित होता है और संबंधों (परिवार , मित्रों , प्रतिस्प्रधियों , शत्रुओं आदि) के एक जाल में उलझा हुआ होता है ! व्यक्ति की कुछ इच्छा और लक्ष्य होते हैं ! इस प्रकार , अपनी क्षमताओं के आधार पर कोई व्यक्ति जीवन पर्यन्त अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अपने संबंध बनाने और उन्हें आकार देने में लगा रहता है ! किसी व्यक्ति के लिए ये लक्ष्य और इच्छायें प्रायः सुरक्षा और आत्म – विकास से संबंधित होती हैं !

NOTE :- संप्रभु राष्ट्र से तात्पर्य है – ऐसा राज्य जो अपने सभी निर्णय स्वतंत्र रूप से स्वंय लेता हो, तथा जो किसी अन्य सत्ता के अधीन न हो । जैसे – भारत, अमेरिका , आदि ।

संप्रभु राष्ट्रों के मामलों में इन लक्ष्यों और इच्छाओं को राष्ट्रीय हित कहा जा सकता हैं ! अपने सटीक रूप में राष्ट्रीय हित समय – समय पर परिवर्तित होते रह सकते हैं , लेकिन हमेशा इसके मूल में सुरक्षा (सैन्य तैयारी, आन्तरिक और बाह्य सुरक्षा), आर्थिक कल्याण जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, व्यापार , निर्धनता उन्मूलन आदि और राष्ट्र का दर्जा वर्तमान विश्व व्यवस्था में राजनीतिक स्थिति जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता होते हैं ! विदेश नीति , इन्हीं हितों की अभिव्यक्ति एवं उन्हें प्राप्त करने की रुपरेखा है ! जे. बंद्योपाध्याय के अनुसार , यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उद्देश्य एवं माध्यमों का चुनाव करने की प्रक्रिया होती है ! बहुत सरल शब्दों में कहे तो विदेश नीति, अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने और उसे बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है ! इस प्रकार , भारत की विदेश नीति ऐसे विश्व में राष्ट्रीय हितों को परिभाषित, अभिव्यक्त और प्राप्त करने का प्रयास करती है जहां ये हित कई प्रकार से राष्ट्र की सीमाओं के बाहर स्थित तत्वों और कारको पर निर्भर होते हैं !

निर्धारक : भारत की विदेश नीति को आकार प्रदान करने वाले तत्व और कारक (Determinats : Actors and Factors Shaping India 's Foreign Policy) : - किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति एवं साथ ही इसकी सफलता या असफलता कई कारकों से निर्धारित होती है ! उनमें से कुछ इस प्रकार है :

- **इतिहास :-** राजनीतिक परम्परा और दार्शनिक आधार क्योंकि भारत के मामले में शान्तिपूर्ण सह – अस्तित्व एवं गैर– आक्रमता को इसके इतिहास और संस्कृति के साथ – साथ राजनीतिक परम्परा से जोड़ा जा सकता हैं !
- **भूगोल :-** स्थान और संसाधन – भू – राजनीतिक और भू रणनीति : भारत में कई नदियाँ , राष्ट्रों की सीमाओं से परे विस्तारित होने वाली हैं अर्थात भारत सहित कई पड़ोसी राष्ट्रों से होकर भी बहती हैं , उदाहरण के लिए गंगा , ब्रह्मपुत्र , एवं तीस्ता इत्यादि! हिमालय और हिन्द महासागर दोनों ही भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं !
- **आर्थिक विकास :-** किसी देश के आर्थिक विकास की आवश्यकता एवं आर्थिक विकास की अवस्था उस देश की विदेश नीति और इनसे संबंधित विकल्पों में माध्यमों एवं उद्देश्यों दोनों तरीको से योगदान करती हैं !
- **घरेलू वातावरण :-** इसमें देश में उपस्थित विभिन्न संस्थाएँ, राजनीतिक वातावरण और राष्ट्रीय हितों पर आम सहमती , आवश्यकताएँ , महत्वकांक्षाएँ एवं क्षमताएं , नेतृत्व तथा नौकरशाही इत्यादि शामिल हैं !
- अंतर्राष्ट्रीय वातावरण :- युद्ध , शांति अर्थात एक शान्तिपूर्ण बाह्य वातावरण आर्थिक वृद्धि और विकास में सहायक होता है !

विदेश नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधनों के रूप में राजनीतिक, आर्थिक और सेन्य साधनों को रखा जा सकता हैं ! विगत कई वर्षों में भारत की विदेश नीति में हुए विकास को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त विमर्श के महत्व को पहचाना जा सकता है !

भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India 's Foreign Policy)

1947 – 1962 : अंतर्राष्ट्रीय , आदर्शवादी और गुटनिरपेक्ष भारत (1947 – 1962 : Internationalist , Idealist And Non – Aligned

India) :- स्वतंत्र भारत की विदेश नीति – ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत , द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त की घटनाओं , घरेलू आवश्यकताओं एवं महात्मा गाँधी और जवाहरलाल नेहरु जैसे व्यक्तिओं आदि कारकों का सम्मिलित परिणाम थी ! यहाँ तक कि भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 51 (राज्य की नीति के निदेशक तत्व) के अन्तर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्द्धन करने हेतु एक प्रावधान सम्मिलित किया, जिसके अनुसार राज्य निम्नलिखित का प्रयास करेगा :

1. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ।

2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाये रखने का प्रयास करेगा ।

3. संगठित लोगों के एक दुसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधियों के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा ।

4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा ।

NOTE : - उपनिवेशवाद – किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश (कॉलोनी) स्थापित करना और यह मान्यता रखना कि यह एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है ।

स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के आरम्भिक वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु का रचनात्मक प्रभाव था जिसने आने वाले वर्षों पर दीर्घस्थायी प्रभाव छोड़ा एवं इसके विशिष्ट स्वरुप को एक दिशा प्रदान की ! नेहरु जी की दृष्टि में इतिहास , आकार और क्षमता को देखते हुए भारत की विशेष परिस्थिति थी ! दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य वर्चस्व की राजनीति वाले शीत युद्ध के युग में यह अंतर्राष्ट्रीय , अफ्रीकी – एशियाई एकजुटता , उपनिवेशवाद विरोधी एवं गुटनिरपेक्षता को निर्दिष्ट करने वाली विदेश नीति थी ! भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही नई दिल्ली में 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 को एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया ! नेहरु जी के अनुसार 'हम एक युग के अन्त और इतिहास की एक नई अवधि की दहलीज पर खड़े हैं इस निष्क्रियता के लम्बे अन्तराल के बाद एशिया , विश्व मामलों में अचानक पुनः महत्वपूर्ण हो गया हैं –

पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ विवाद के शान्तिपूर्ण समाधान के लिए जनमत – संग्रह का सुझाव सबसे पहले भारत ने दिया था ! पुनः भारत ने 1947 में कश्मीर की स्थिति का समाधान करने के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया ! दिसम्बर 1947 में कश्मीर में पकिस्तान की आक्रामकता को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने पर , संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपना विश्वास व्यक्त किये जाने को कई लोग भारत के नेतत्व की ओर से की गई त्रुटी के रूप में देखते हैं ! जे. बंद्योपाध्याय के अनुसार ,'कश्मीर के प्रति अपनी नीति में आदर्शवादी और यथार्थवाद दोनों का समन्वय करने के नेहरु के प्रयास ने कश्मीर कूटनीति के कतिपय पहलुओं को प्रभावित किया और यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस मुद्दे को सम्बोधित किया गया होता तो सम्भवतः इसका स्वरुप भिन्न रहा होता ' ! हालांकि , राजीव सीकरी के अनुसार ,'1948 में जब जम्मू – कश्मीर की परिस्थिति बिगडती जा रही थी तब नेहरु पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन उनके ब्रिटिश सेना प्रमुख ने उनका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया ! भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के दबाव में उन्होंने कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया ! '

फिर भी, संयुक्त राष्ट्र में उनके प्रारम्भिक अनुभव ने भारत की विदेश नीति में पश्चिमी विश्व के प्रति संदेह को और भी अधिक मजबूत किया ! इसका परिणाम , एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर चलने वाले एवं तत्कालीन वर्चस्व की राजनीति से समान दुरी बनाए रखने वाला मार्ग (गुटनिरपेक्ष सिद्ध) निर्धारित करने के प्रयासों के रूप में सामने आया !

इस चरण में भारत की विदेश नीति की तीन प्रमुख विशेषताए थी ! पहली , भारत ने बहुपक्षीय संस्थाओं और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाई ! दूसरी , यह गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अहम प्रस्तावक के रूप में भी उभरा ! तीसरा , गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नेता के रूप में इसने उपनिवेशों को समाप्त कर राजनैतिक स्वतंत्रता की दिशा में भी अहम योगदान दिया ! और यह अभिलक्षण उस समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी निम्नलिखित रूप में होती हैं :

- कनाडा और पोलैण्ड के साथ वियतनाम में इन्टरनेशनल कंट्रोल कमिशन (1954)
- कोरिया में न्यूट्रल नेशंस रिपेट्रीएशन कमीशन (1952 – 54)
- बेल्जियन कांगों में संयुक्त राष्ट्र शांति बल (1960 – 1964)

इस चरण में भारत की सक्रियता निःशस्त्रीकरण, विशेष रूप से परमाणु हथियार संबंधी निःशस्त्रीकरण के मंच पर भी प्रदर्शित हुई ! परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (Nuclear Test Ban Treaty) के प्रारम्भिक प्रस्तावकों में से एक के रूप में , 1952 में भारत ने आयरलैंड के साथ परमाणु परीक्षणों पर वैश्विक प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव पेश किया !

पंचशील (Panchsheel):- इस अवधि में विदेशी संबंधों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण ' शान्तिपूर्ण सह

अस्तित्व के पांच सिद्धांतों ' से और भी स्पष्ट हुआ , जिन्हें चीन और भारत के बीच 1954 में की गई पंचशील संधि के रूप में जाना जाता है ! ये सिद्धांत चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के मध्य व्यापार और मेल - जोल (आवागमन) पर समझौते ' की प्रस्तवाना में निरुपित किये गए थे, जिस पर बीजिंग में 29 अप्रैल , 1954 को हस्ताक्षर किये गए थे ! इस समझौते ने पंचशील के निम्न पांच सिद्धांतों को अभियक्त किया ।

1. एक - दुसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसता के लिए पारस्परिक सम्मान ।
2. पारस्परिक गैर - आक्रामकता ।
3. एक - दुसरे के आन्तरिक मामलों में पारस्परिक अहस्तक्षेप ।
4. शान्तिपूर्ण सह - अस्तित्व ।
5. सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे तथा परस्पर लाभ के सिद्धांत पर काम करेंगे।

विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 1955 में बांडुंग (इंडोनेशिया) में आयोजित एशिया - अफ्रीका सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी में भी प्रतिबिम्बित हुआ ! यह सम्मेलन बांडुंग में अप्रैल 18 -24 , 1955 को आयोजित किया गया और इसमें दो महाद्वीपों से औपनिवेशिक युग के बाद के नेताओं की पहली पीढ़ी से संबंधित 29 राष्ट्र प्रमुख सम्मिलित हुए ! इस सम्मेलन का उद्देश्य उस समय विद्यमान वैश्विक समस्याओं की पहचान करना , उनका आकलन करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त नीतियों का अनुसरण करना था ! बड़े और छोटे राष्ट्रों के मध्य के संबंधों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को बांडुंग के दस सिद्धांत '(Ten Principles of Bandung) के रूप में जाना गया और उस सम्मेलन में उनकी घोषणा की गई थी ! बांडुंग सम्मेलन ने 1961 में गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मार्ग प्रशस्त किया ! कराची में 19 सितम्बर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षरित सिन्धु जल संधि कुटनीतिक साधनों के माध्यम से विवादास्पद मुद्दों पर की गई प्रगति का एक जीवंत प्रमाण थी! हालांकि , भले ही भारत ने इस समय काल में वैश्विक विवाद सुलझाने के लिए पसंदीदा विकल्प के रूप में कूटनीति के प्रयोग के प्रति आस्था दर्शायी , लेकिन आवश्यकता पड़ने पर कुछ कठोर कारवाहियाँ भी की । उदाहरण के लिए जब पुर्तगाल के अड़ियल रवैये वाले सालाजार शासन के साथ व्यापक कुटनीतिक चर्चा में गतिरोध उत्पन्न हुआ एवं भारतीय प्रधानमंत्री नेहरु को अफ्रीकी - एशियाई नेताओं के एक समूह की तीव्र आलोचना का सामना करना पड़ा तब भारत ने 1961 में गोवा में पुर्तगाली को उनके औपनिवेशिक विदेशी अन्त क्षेत्र से बेदखल करने के लिए बल प्रयोग करने का विकल्प चुना !

चीन के साथ असफलता : 1962 :- गुट निरपेक्षता के विचार पर आधारित विदेश नीति के प्रमुख तत्वों में से एक बढ़ते रक्षा व्यय को सीमित करना था ! ऐसी नीति के पालन ने भारत की हार्ड पावर क्षमताओं को कमजोर कर दिया जिसका पता भारत को आगे चलकर चीनी जनवादी गणराज्य के साथ भारतीय संबंधों के परिपेक्ष्य में चला ! भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दी एवं 1960 में चीनी जनवादी गणराज्य के साथ विभिन्न स्तर पर वार्ताएं विफल हो गई ! परिणामस्वरूप , सुमित गांगुली के शब्दों में कहें तो भारत नें विवादित हिमालयी सीमा के साथ प्रादेशिक यथास्थिति पुनर्स्थापित करने के लिए अभिकल्पित की गई दबाव देने की रणनीति अपनायी ' इसमें हल्के हथियारों से लेस, अल्प सुसज्जित और थोड़ी बहुत तैयारी वाले सेनिकों को पर्याप्त आपूर्ति लाइनों के बिना अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में भेजा गया ! लेकिन यह रणनीति असफल सिद्ध हुई !

जब 1962 में चीन के जनवादी गणराज्य की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने व्यापक बल के साथ भारत पर आक्रमण किया, भारतीय सेना आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी ! पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने भारतीय बलों को पर्याप्त क्षति पहुंचाई ! जिन क्षेत्रों में उन्होंने घुसपैठ की थी, उनमें से कुछ क्षेत्रों से वह वापस चले गए लेकिन उन्होंने 14,000 वर्ग मील से अधिक के अक्साई चीन क्षेत्र को खाली नहीं किया जिस पर उन्होंने आरम्भ में अपना अधिकार किया था और आज भी यह चीन और भारत के संबंधों में विवाद का विषय बना हुआ है !

यहाँ अक्साई चीन से तात्पर्य उस भारतीय क्षेत्र से है जिसे 1962 के भारत - चीन के युद्ध के समय चीन ने कब्जा लिया था ।

NOTE : - गणराज्य एक देश होता है जहाँ के शासनतंत्र में देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई भी व्यक्ति पदासीन हो सकता है, अर्थात् इस पद पर वंशानुगत अधिकार नहीं होता है ।

कोलम्बो सम्मेलन तथा गुट - निरपेक्ष आन्दोलन की सीमाएँ (The Colombo Conference And Limits of Non-Aligned Movement) भारत तथा चीन की स्वीकार्यता पर आधारित , छह गुट - निरपेक्ष राष्ट्र (मिस्त्र , बर्मा , कम्बोडिया , श्रीलंका , घाना और इंडोनेशिया) 10 दिसम्बर , 1962 को कोलम्बो में मिले ! कोलम्बो सम्मेलन के परिणामस्वरुप पारित प्रस्तावों में , भारत द्वारा पीछे हटे बिना , चीन द्वारा स्वयं सीमांकित की गई युद्धविराम रेखा से 20 किमी. पीछे हटना निर्धारित किया गया ! यद्यपि मध्यस्थता के प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया , लेकिन चीन की

स्पष्ट निंदा करने में विफल रहे इन छह राष्ट्रों ने भारत को बहुत निराश किया । तथापि , भारत ने प्रस्तावों को स्वीकार किया , जबकि चीन ने इन प्रस्तावों को समझौता वार्ता आरम्भ करने के आधार सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया । लेकिन अंततोगत्वा , यह पहल असफल हो गयी ।

इस प्रकार , चीन के साथ 1962 के युद्ध ने भारत की विदेश नीति के प्रथम चरण का अन्त किया जिसकी विशेषता आदर्शवादी थी , इसमें भारत को प्रारम्भिक सफलता मिली तथा इन विरासतों को भारत आज भी अपनी विदेश नीति में पर्याप्त स्थान प्रदान करता हैं !

गुट – निरपेक्ष आन्दोलन का एक संक्षिप्त विवरण (A Brief Overview of Non Aligned Movement)

बांडुंग के छह वर्ष पश्चात् , 1-6 सितंबर , 1961 तक बेलग्रेड में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में व्यापक भौगोलिक आधार पर गुट – निरपेक्ष राष्ट्रों के आन्दोलन (NAM) की स्थापना की गई । सम्मेलन में 25 राष्ट्रों ने भाग लिया : अफगानिस्तान , अल्जीरिया , यमन , म्यांमार , कम्बोडिया , श्रीलंका , कांगो , क्यूबा , साइप्रस , मिस्त्र , इथियोपिया , घाना , गिनी , भारत , इंडोनेशिया , इराक , लेबनान , माली , मोरक्को , नेपाल , सउदी अरब , सोमालिया , सूडान , सीरिया , तथा युगोस्लाविया ।

1960 में बांडुंग में हुए निर्णयों की सहायता से , संयुक्त राष्ट्र महासभा के 15 वें सामान्य सत्र के दौरान गुट – निरपेक्ष राष्ट्रों के विकास को तीव्रता प्रदान की गई , इस दौरान 17 नए अफ्रीकी एवं एशियाई राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण की ! इस दौरान तत्कालीन राज्याध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों मिस्त्र के गमाल अब्दुल नासिर , घाना के कम्मे कुरमा , भारत के जवाहरलाल नेहरु , इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो तथा युगोस्लाविया के जोसिप बोर्ज टीटो द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई , जो बाद में इस आन्दोलन के प्रणेता और इसके प्रतीकात्मक नेता बन गए !

बांडुंग सिद्धांतों को बाद में गुट – निरपेक्षता की नीति के मुख्य लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के रूप में अपनाया गया था । उन सिद्धांतों की पूर्ति , गुट – निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्यता के लिए एक आवश्यक मानदण्ड बन गई ; 1990 के दशक के प्रारम्भ तक इसे 'आन्दोलन के सारतत्व ' के रूप में जाना जाता था ।

NAM (गुटनिरपेक्ष आन्दोलन) के संस्थापकों ने इसे किसी संगठन के नोकरशाही प्रभावों से बचाने हेतु संगठन के स्थान पर एक आन्दोलन के रूप में घोषित करना पसंद किया !

गुट – निरपेक्ष राष्ट्रों के 'प्राथमिक उद्देश्य ' निम्नलिखित थे :

- आत्मनिर्भर , राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा राज्यों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन ।
- रंगभेद नीति का विरोध ।
- बहुपक्षीय सैन्य समझौते की अवमानना तथा महाशक्ति या गुट प्रभावों एवं प्रतिद्वन्दता से गुट – निरपेक्ष राष्ट्रों की स्वतंत्रता ।
- अपने सभी रूपों तथा अभिव्यक्ति में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष ।
- उपनिवेशवाद , नव – उपनिवेशवाद , नस्लवाद , विदेशी अधिग्रहण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष ;
- नि : शस्त्रीकरण ;
- देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य शान्तिपूर्ण सह – अस्तित्व ;
- अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के उपयोग या उपयोग की चेतावनी को अस्वीकार करना;
- संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण ; अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन ; साथ ही समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

- **भारत के साथ पड़ोसी देशों का संबंध –**

भारत - अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध

परिचय:- भारत और अमेरिका दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। शीत युद्ध के दौरान से ही इन दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध बन गया था। इस संबंध को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई बार अमेरिका दौरे भी किए और कई बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति से वार्ता कर इन दोनों देशों के संबंध को मजबूत भी बनाया। इसी वजह से भारत और चीन के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत की खुली मदद भी कर दिया। 1965 के युद्ध से पहले भारत को अमेरिका के सैन्य संबंधी पूर्ण सहयोग मिल चुका था। इसके बाद 1971 में रूस के शांति वार्ता सम्मेलन में अमेरिका ने भारत से अपना संबंध तोड़कर अपना संबंध चीन और पाकिस्तान से जोड़ लिया और भारत पर शांति और दोस्ती का दबाव बनाने लगा। 1974 में भारत ने जब पहली बार अपना परमाणु परीक्षण किया तब यह संबंध और भी खराब हो गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु शक्ति हो। 1978 में अमेरिका ने भारत के सभी परमाणु शक्ति को खत्म कर दिया। जब 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने फिर दोबारा से भारत और अमेरिका का संबंध वापस बनने लगा और 1990 में यूएसएसआर के सम्मेलन में यूएसएसआर ने इसकी घोषणा कर दी थी। जो अटल बिहारी बाजपेई जी की सरकार बनी तभी भारत ने 1998

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से विभिन्न परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें - (Proof Video Link)

RAS PRE. 2021 - https://shorturl.at/qBJ18 (74 प्रश्न , 150 में से)

RAS Pre 2023 - https://shorturl.at/tGHRT (96 प्रश्न , 150 में से)

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

RPSC EO / RO - https://youtu.be/b9PKjl4nSxE

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856WI8&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
RAS Mains 2021	October 2021	52% प्रश्न आये
RAS Pre. 2023	01 अक्तूबर 2023	96 प्रश्न (150 मेंसे)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)

whatsapp - https://wa.link/d5wdiv 1 web.- https://shorturl.at/besw4

SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
RPSC EO/RO	14 मई (1st Shift)	95 (120 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1st शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12th level	04 February 2023 (1st शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

Our Selected Students

Approx. 137+ students selected in different exams. Some of them are given below -

Photo	Name	Exam	Roll no.	City
	Mohan Sharma S/O Kallu Ram	Railway Group - d	114195120370022	PratapNagar Jaipur
	Mahaveer singh	Reet Level- 1	1233893	Sardarpura Jodhpur
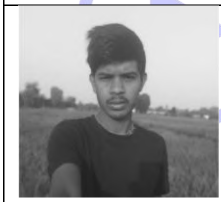	**Sonu Kumar Prajapati S/O Hammer shing prajapati**	SSC CHSL tier-1	2006018079	Teh.- Biramganj, Dis.- Raisen, MP
N.A.	**Mahender Singh**	EO RO (81 Marks)	N.A.	teh nohar , dist Hanumangarh
	Lal singh	EO RO (88 Marks)	13373780	Hanumangarh
N.A.	**Mangilal Siyag**	SSC MTS	N.A.	ramsar, bikaner

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	MONU S/O KAMTA PRASAD	SSC MTS	3009078841	kaushambi (UP)
	Mukesh ji	RAS Pre	1562775	newai tonk
	Govind Singh S/O Sajjan Singh	RAS	1698443	UDAIPUR
	Govinda Jangir	RAS	1231450	Hanumangarh
N.A.	**Rohit sharma s/o shree Radhe Shyam sharma**	RAS	N.A.	Churu
	DEEPAK SINGH	RAS	N.A.	Sirsi Road , Panchyawala
N.A.	**LUCKY SALIWAL s/o GOPALLAL SALIWAL**	RAS	N.A.	AKLERA , JHALAWAR
N.A.	**Ramchandra Pediwal**	RAS	N.A.	diegana , Nagaur

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Monika jangir	RAS	N.A.	jhunjhunu
	Mahaveer	RAS	1616428	village-gudaram singh, teshil-sojat
N.A.	**OM PARKSH**	RAS	N.A.	Teshil-mundwa Dis- Nagaur
N.A.	**Sikha Yadav**	High court LDC	N.A.	Dis- Bundi
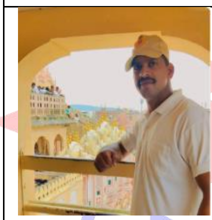	**Bhanu Pratap Patel s/o bansi lal patel**	Rac batalian	729141135	Dis.-Bhilwara
N.A.	**mukesh kumar bairwa s/o ram avtar**	3rd grade reet level 1	1266657	JHUNJHUNU
N.A.	**Rinku**	EO/RO (105 Marks)	N.A.	District: Baran
N.A.	**Rupnarayan Gurjar**	EO/RO (103 Marks)	N.A.	sojat road pali
	Govind	SSB	4612039613	jhalawad

FREE SAMPLE
INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

	Jagdish Jogi	EO/RO (84 Marks)	N.A.	tehsil bhinmal, jhalore.
	Vidhya dadhich	RAS Pre.	1158256	kota

And many others……

FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp करें – https://wa.link/d5wdiv

Online order करें – https://shorturl.at/besw4

Call करें - 9887809083